राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– नारायणलाल जीनगर आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 300/2023

1. गोपी पिता देवा उर्फ दीपा गुर्जर निवासी- मोया का खेड़ा त.करेड़ा

प्रार्थी........

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला- भीलवाड़ा विपक्षीगण......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 01/06/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोया का खेड़ा पटवार हल्का मोया का खेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 91, 94, 152, 194, 173, 92 आराजी नम्बर मे क्रमशः आ.नं. 356, 357, 358, 560, 738/441 893/441, 860/434, 833/441, 891/441, 830/441, 862/435, कुल किता

कुलकिता 11 रकबा 7.3095 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31/05/2023 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मोया का खेड़ा पटवार हल्का मोया का खेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 91, 94, 152, 92, 173 आराजी नम्बर 356, 357, 358, 560, 738/441, 893/441, 860/434, 833/441, 891/441, 830/441, 862/435,

कुलकिता 11 रकबा 7.3095 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक ओडिहवा को 3100/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:06:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा)